संख्याः 460/69–1–2016–14(32)/2016

प्रेषक,

श्री दीपक सिंघल,
मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा)
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।

लखनऊः दिनांक 16 अगस्त , 2016

विषय–नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के विभिन्न ,आवासीय योजनाओं में अवमुक्त धनराशि को कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

यह संज्ञान में लाया गया है कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित की जा रही बी.एस.यू.पी., आई.एच.एस.डी.पी., आसरा तथा राष्ट्रीय शहरीय आजीविका मिशन के अन्तर्गत शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि आपके स्तर पर अनावश्यक रूप से रोकी जाती है। निदेशक, सूडा द्वारा 13 जनपदों की कुल 19 परियोजनाओं की सूची (संलग्न) उपलब्ध करायी गयी है, जिसमें जिलाधिकारी के स्तर पर 03 परियोजनाओं में एक वर्ष से अधिक समय से धनराशि लम्बित होने की सूचना दी गयी है। उक्त धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तांतरित न किये जाने के कारण परियोजनाओं में निर्माण कार्य अवरूद्ध हो गया है। निदेशक, सूडा द्वारा अस सम्बन्ध में संबंधित जिलाधिकारियों को कई पत्र प्रेषित किए गए तथा कुछ मामलों में सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की ओर से भी निर्देश जारी किये गये हैं, किन्तु धनराशि रोके जाने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति भी सूचित नहीं की गयी है।

यह भी देखा गया है कि आप द्वारा आपके पूर्वाधिकारी के स्थानान्तरण के पश्चात जिन निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच आपके पूर्वाधिकारी द्वारा करायी गयी है, उनकी गुणवत्ता की जांच पुनः कराये जाने के बाद ही धनराशि अवमुक्त की जाती है, जबकि कार्यो की गुणवत्ता की जांच कराये जाने के बाद यदि गुणवत्ता संतोषजनक पायी गयी है तो पुनः उसकी जांच कराने का औचित्य नहीं है। परियोजनाओं की धनराशि कार्यदायी संस्था को समय से उपलब्ध कराये जाने का कारण जहॉ एक ओर निर्माण कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है। वही दूसरी ओर परियोजनाओं में मूल्यवृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। निर्माण कार्यो में इस प्रकार की उदासीनता ग्राहय नही है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में निर्माणाधीन परियोजनाओं की लम्बित धनराशि 03 दिन के अन्दर सम्बन्धित कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरित करने का कष्ट करें। कृपया यह सुनिश्चित किया जाय कि योजना की स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियॉ 03 दिन से अधिक लम्बित न रखी जाय। यदि अपरिहार्य कारणोंवश धनराशि अवमुक्त नहीं की जा सकती है तो उन कारणों को स्पष्ट करते हुए अपनी आख्या शासन को कृपया एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(दीपक सिंघल)
मुख्य सचिव।

☎ 2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः– 1990 / 59 / पन्द्रह / IHSDP / BSUP / सरे0–XIV / 2016–17 दिनांकः– 03 अगस्त, 2016

सेवा में,

सचिव
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः–बी0एस0यू0पी0 एवं आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवास	अवमुक्त धनराशि	दिनांक
1.	मथुरा	लक्ष्मी नगर	608 / 482	636.592	02.06.2016
		राधेश्याम कालोनी	2018 / 1580	336.238	02.06.2016
		गोपाल नगर	560 / 265	15.69	02.06.2016

इसके अतिरिक्त आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि लाख में)

क्र0सं0	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	स्वीकृत आवास	अवमुक्त धनराशि	दिनांक
1.	मिर्जापुर	मिर्जापुर	536	271.54	07.05.2015
2.	सुल्तानपुर	घासीगंज	116 / 81	42.193	08.06.2016
3.	बहराइच	सलारगंज	336 / 276	55.916	08.06.2016
4.	औरेया	दिबियापुर	72	40.086	08.06.2016
		भीकमपुर	48	29.139	08.06.2016
5.	कानपुर देहात	रसूलाबाद	216	332.61	08.06.2016
6.	प्रतापगढ़	कुण्डा	272 / 160	191.796	08.06.2016
7.	गाजीपुर	सादात	36	17.60	7.12.2015
8.	रायबरेली	रायबरेली	1031 / 601	542.34	08.06.2016
		रायबरेली	429 / 288	226.46	08.06.2016
		रायबरेली	284 / 180	143.96	08.06.2016
		रायबरेली	353 / 340	251.034	19.10.2015

डूडा द्वारा अभी तक कार्यदायी संस्थाओं को धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जबकि प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारी को तत्काल धनराशि अवमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डूडा को कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त किये जाने हेतु पत्र भी प्रेषित किया जा चुका है। पत्र में यह भी स्पष्ट लिखा गया है कि कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नहीं किये जाने की दशा में परियोजना को पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न होगा एवं कुल मूल्यवृद्धि का दायित्व बना रहेगा। साथ ही भारत सरकार में भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

अतः अनुरोध है कि मुख्य सचिव महोदय की ओर से समस्त जिलाधिकारीगण को इस आशय के निर्देश निर्गत कर दिये जायें कि विभिन्न आवासीय योजनाओं में सूडा से अवमुक्त धनराशि को सात दिवस के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत कर दिये जायें, जिससे ससमय व आवंटित बजट के अन्तर्गत परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सके। यदि सात दिवस में धनराशि अवमुक्त करना सम्भव न हो तो कारण सहित शासन एवं सूडा को अवगत कराया जायें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

☎2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः– 2011 / 64 / दस / आसरा / 2012–IV

दिनांकः– 03 अगस्त, 2016

सेवा में,

सचिव
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग,
उ0प्र0 शासन।

विषयः–आसरा योजनान्तर्गत कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को धनराशि अवमुक्त न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अवगत कराना है कि आसरा योजनान्तर्गत सूडा द्वारा डूडा को अवमुक्त की गयी धनराशि का विवरण निम्नवत हैः–

क्र0सं0	जनपद	परियोजना	स्वीकृत आवास	अवमुक्त धनराशि	दिनांक
1.	देवरियां	भटनी	24	21.12	29.03.2016
2.	सीतापुर	तम्बौर	96	88.76	31.03.2016
3.	मेरठ	खरखौदा	24	29.60	27.05.2016
4.	उन्नाव	रसूलाबाद	96	101.38	31.05.2016

डूडा द्वारा अभी तक कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है, जबकि प्रत्येक मासिक समीक्षा बैठक में परियोजना अधिकारी को तत्काल धनराशि अवमुक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त नहीं किये जाने की दशा में परियोजना को पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न होगा एवं पुनः मूल्यवृद्धि का दायित्व बना रहेगा।

अतः अनुरोध है कि मुख्य सचिव महोदय की ओर से समस्त जिलाधिकारीगण को इस आशय के निर्देश निर्गत कर दिये जायें कि विभिन्न आवासीय योजनाओं में सूडा से अवमुक्त धनराशि को सात दिवस के अन्दर कार्यदायी संस्थाओं को निर्गत कर दिये जायें, जिससे ससमय व आवंटित बजट के अन्तर्गत परियोजनाओं को पूर्ण किया जा सके। यदि सात दिवस में धनराशि अवमुक्त करना सम्भव न हो तो कारण सहित शासन एवं सूडा को अवगत कराया जायें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

प्रतिलिपिः–

1. विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग, उ0प्र0 शासन।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

– 460/69-1-2016

☎2286710, 2286709

राज्य नगरीय विकास अभिकरण

नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग,
लखनऊ–226001
website-www.sudaup.org

पत्रांकः– 4422/59/पन्द्रह/IHSDP/BSUP/सरे0–XII/2015–16 दिनांकः–26 फरवरी, 2016

सेवा में,

सचिव
नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,
उ0प्र0 शासन।

14(32)/16

विषयः– **दिनांक 10 व 11 फरवरी, 2016 को आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मासिक समीक्षा बैठक में जनपद–मिर्जापुर, बलरामपुर एवं गाजीपुर के परियोजना अधिकारियों से आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत सूडा द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि कार्यदायी संस्था को हस्तान्तरण किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी ली गयी, तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था को धनराशि अभी तक अवमुक्त नहीं की गयी है। यह अत्यन्त खेद का विषयक है। सूडा द्वारा जनपद को अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत है:–

क्र.सं.	जनपद का नाम	परियोजना का नाम	आवासों की संख्या	सूडा द्वारा जनपद को अवमुक्त धन0	सूडा पत्रांक/दिनांक
1.	मिर्जापुर	चुनार	216	156.45	402/07.05.15
2.	मिर्जापुर	मिर्जापुर	536/437	271.54	402/07.05.15
3.	बलरामपुर	उतरौला	60	56.39	3100/05.11.15
4.	बलरामपुर	पचपेड़वा	48	25.373	3971/05.11.15
				16.607	3100/28.01.16
5.	गाजीपुर	गाजीपुर	420/304	535.50	3477/07.12.15

जनपद मिर्जापुर के जिलाधिकारी/अध्यक्ष को सूडा के अनुस्मारक पत्रांक–4231/59/पन्द्रह/आईएचएसडीपी/बीएसयूपी/सरे0–IX/2015–16 दिनांक 12.02.2016 एवं जनपद बलरामपुर के जिलाधिकारी/अध्यक्ष को सूडा के अनुस्मारक पत्रांक–4233/59/पन्द्रह/आईएचएसडीपी/बीएसयूपी/सरे0–IX/2015–16 दिनांक 12.02.2016 के द्वारा परियोजना पूर्ण करने हेतु शीघ्र अति शीघ्र धनराशि अवमुक्त करने हेतु अनुरोध किया जा चुका है। किन्तु आज तक सम्बन्धित डूडा द्वारा धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त नहीं की गयी है। उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्था को डूडा द्वारा धनराशि अवमुक्त नहीं किये जाने की दशा में परियोजना को पूर्ण करने में अवरोध उत्पन्न होगा और पुनः मूल्यवृद्धि का दायित्व बना रहेगा। साथ ही भारत सरकार में भी विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

अतः योजना को पूर्ण किये जाने की महत्ता के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी/अध्यक्ष को कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने हेतु शासन स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

अनु0 अधि0 सूडा

(एच0 पी0 सिंह)
29-02-16 विशेष सचिव,